संख्या-88 /2025/329/41-2-2025-CN- **1897684**

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0**,** लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 05 मार्च**,** 2025

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-44 के ''लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान'' मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9623/2-9(722)/का0/2013**,** दिनांक 06.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष 3452**-**पर्यटन-80**-**सामान्य-001**-**निदेशन तथा प्रशासन-**03-**अधिष्ठान-01 वेतन मद में हो रही बचत के सापेक्ष लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान'' मद में धनराशि रू0 6.60 लाख (रू0 छः लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष 3452**-**पर्यटन-80**-**सामान्य-001**-**निदेशन तथा प्रशासन-**03-**अधिष्ठान-01 वेतन मद में हो रही बचत के सापेक्ष लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान'' मद में धनराशि रू0 6.60 लाख (रू0 छः लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन के आदेश संख्या-आई/898761/41-2-2025-CN-1897684, दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त धनराशि रू0 6.60 लाख (रू0 छः लाख साठ हजार मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04-मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियत तिथि 31.03.2025 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने के पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20242025-CN-1897684-2025

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	01 (वेतन)	6,70,00,000 रुपये छह करोड़ सत्तर लाख मात्र	2,70,00,000 रुपये दो करोड़ सत्तर लाख मात्र	-6,60,000 रुपये छह लाख साठ हजार मात्र	₹ 6,60,000	6,63,40,000 रुपये छह करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार मात्र	2024-2025
					₹ 6,60,000	₹ 6,60,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	6,60,000 रुपये छह लाख साठ हजार मात्र	6,60,000 रुपये छह लाख साठ हजार मात्र	66,60,000 रुपये छियासठ लाख साठ हजार मात्र	2024-2025
				₹ 6,60,000	₹ 6,60,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

2- **उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-**

(1) आलोच्य वर्ष में कतिपय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने एवं उनके स्थान पर नवनियुक्तियाँ नहीं होने की स्थिति में वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अधिष्ठान के मानक 01-वेतन मद में रू0 10.00 लाख की बचत सम्भावित है।

3- **उपलब्ध बचत के सापेक्ष व्यय का कारण निम्नानुसार है :-**

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में उपलब्ध प्राविधानित धनराशि का उपभोग कर लिया गया है, आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवाओं के सापेक्ष उनके माह फरवरी, 2025 एवं मार्च, 2025 के वेतन के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 6,60,000/- (रू0 छः लाख साठ हजार मात्र) की अतिरिक्त आवश्यकता है।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-468-E-7-305-X-2024-25-दिनांक:03-03-2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(मनजीत सिंह)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-329/41-2-2025-CN-1897684/2025, दिनांक: 05 मार्च, 2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।